

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
अधिसूचना

सं०-01/स्था० राज०-331/2025- /पटना, दिनांक- अगस्त, 2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली-2016" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** -(1) यह नियमावली "बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2025" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2016 के नियम-8 का संशोधन।-**
उक्त नियमावली के नियम-8 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" 8 **शैक्षणिक योग्यता-** संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान /केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(बी० कार्तिकेय धनजी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० राज०-331/2025- /पटना, दिनांक- अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० राज०-331/2025- /पटना, दिनांक- अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० राज०-331/2025- /पटना, दिनांक- अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10987 दिनांक-17.06.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-01/स्था० राज०-331/2025-

/पटना, दिनांक-

अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुलिपिक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी सहायक ईखायुक्त/सभी ईख पदाधिकारी एवं विशेष ईख पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० राज०-331/2025-1217- /पटना, दिनांक- 14. अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :- श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

